न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 268/2011 राजस्व वादपत्र

अनवान

1 श्रीमति गेकी पुत्री गंगाराम पत्नि पन्ना जाट उम्र–वयस्क निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

..... वादीया

बनाम

1 श्रीमति मांगी पुत्री गंगाराम जाट पत्नि गोपी जाट उम्र–वयस्क निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 श्रीमति भोली पुत्री गंगाराम जाट पत्नि रामचन्द्र जाट उम्र–वयस्क निवासी सालरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 श्रीमति चान्दी पुत्री गंगाराम जाट पत्नि महादेव जाट उम्र–वयस्क निवासी कुवांर तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 श्रीमति केशर पत्नि स्व. गंगाराम जाट उम्र–वयस्क निवासी महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्ण कुमार जीनगर.....वकील वादीया**
पैरोकार सरकार..... .....प्रतिवादी संख्या 05

–:: निर्णय ::–

दिनांक 08.02.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम महुआखुर्द पटवार हल्का महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 450 के आराजी संख्या 691, 692, 695, 720, 721, 1948, 2009, 2010, 2183 कुल किता 9 कुल रकबा 11–11 बीघा जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 में वादीया तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के नाम पर बतौर सयुंक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिस पर वादीया का कब्जा एंव आधिपत्य चला आ रहा है। वादीया एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 एक ही परिवार की सदस्या है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 वादीया की बहने है तथा प्रतिवादीया संख्या 04 वादीया की माता है। वादीया के पिता गंगाराम काफी वृद्ध हो गये थे जिससे गंगाराम व वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 04 के पास सेवा शुश्रुषा हेतु रहने वाला नही था, जिस पर वादीया ग्राम महुआखुर्द गंगाराम के साथ रहने लग गयी और काफी वर्षो तक वादीया ने अपने पिता गंगाराम व माता विपक्षी संख्या 04 की सेवा चाकरी की और इसके साथ ही उनके भरण पोषण व अन्य खर्चो की जिम्मेदारी भी केवल स्वंय वादीया ने ही वहन की। वादीया की सेवा चाकरी से प्रशन्न होकर स्व. गंगाराम ने विवादित आराजीयात बाबत एक वसीयत पत्र दिनांक 12.04.1990 वादीया के

पक्ष में गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित किया और वसीयत पत्र को उपपंजीयक कार्यालय बनेडा से विधिवत पंजीकृत भी कराया गया। वादीया वर्ष 1988 से ही स्व. गंगाराम ने जीवनकाल से ही उनके साथ रहकर उनकी सेवा चाकरी करती चली आ रही है। विवादित आराजीयात पर बहेसियत खातेदार काश्तकार काबिज हो काश्त एंव उपभोग उपयोग करती चली आ रही है तथा लगान भी वादीया स्वयं द्वारा ही जमा कराया जाता रहा है। इस प्रकार तथाकथित वसीयत पत्र के आधार पर वादीया को विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। चूंकि वादीया ने अपने पिता स्वं. गंगाराम द्वारा प्रदत्त समस्त जिम्मेदारिया पूर्णतया, बखूबी निभाई है और निभाती चली आ रही है।

अतः राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, विवादित आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का नाम बतौर सह खातेदारी हक से विलोपित करा, केवल मात्र वादीया के नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। अथवा यदि कोई कानूनी अवरोध होने की स्थिति में वैकल्पिक अनुतोष के तौर पर विवादित आराजीयात का गंगाराम पिता चतरभुज के जीवनकाल में आराजीयात का प्रत्येक के हक हिस्से अनुसार विभाजित किया माना जावे तब ऐसी दशा वादग्रस्त आराजीयात में प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा बनता है। चूंकि स्व. गंगाराम द्वारा वादीया के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 12.04.1990 को आधार मानते हुए स्व. गंगाराम का 1/6 हक हिस्सा व स्वंय वादीया का 1/6 हक हिस्सा यानि उक्त आराजीयात में वादीया को 2/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार किये जाने आशय की तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 सादर फरमायी जाने के साथ इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। इसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 सादर पारित फरमाई जावें।

2. वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 28.11.2011 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। दिनांक 11.05.2012 को सूचित होने के बावजूद विपक्षी कम 01 लगायत 04 नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यावाही के आदेश पारित किये गये। पत्रावली को एकतरफा साक्ष्य वादी चरण हेतु नियत किया गया। वादीया की शहादत्त में गवाह वादीया द्वारा अपने साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र प्रस्तुत किया गये, जिन पर उपस्थित गवाह वादीया से जिरह सम्पादित की जाकर, बयान कलम बद्ध किये गये। वादपत्र से संलग्न तथा कथित रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 12.04.1990 व राजस्व आधार अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी पर कमशः प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 का लाल स्याही से अंकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस वाद में सुनी गई।

3. वादीया के विद्वान अभिभाषक ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित सभी कलमों को अपनी बहस में समायत कर दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, विवादित आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का नाम बतौर सह खातेदारी हक से विलोपित करा, केवल मात्र वादीया के नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। अथवा यदि कोई कानूनी अवरोध होने की स्थिति में वैकल्पिक अनुतोष के तौर पर विवादित आराजीयात का गंगाराम पिता चतरभुज के जीवनकाल में आराजीयात का प्रत्येक के हक हिस्से अनुसार विभाजित किया माना जावे तब ऐसी दशा वादग्रस्त आराजीयात में प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा बनता है। चूंकि स्व. गंगाराम द्वारा वादीया के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 12.04.1990 को आधार मानते हुए स्व. गंगाराम का 1/6 हक हिस्सा व स्वंय वादीया का 1/6 हक हिस्सा यानि उक्त आराजीयात में वादीया को 2/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार किये जाने आशय की तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 सादर फरमायी जाने के साथ इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। इसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 सादर पारित फरमाई जावें।

4. अतः इस प्रकार वादीया के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की ताईद मे प्रस्तुत शपथपत्र, जिस पर गवाह वादीया द्वारा कलमबद्ध बयानो एंव वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 12.04.1990 तथा राजस्व आधार अभिलेखो के अध्ययन से अभिलेखो पर मनन करने के पश्चात वादीया का वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

–::आदेश::–

वादीया का वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम महुआखुर्द पटवार हल्का महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 450 के आराजी संख्या 691, 692, 695, 720, 721, 1948, 2009, 2010, 2183 कुल किता 9 कुल रकबा 11–11 बीघा भूमि में स्व. गंगाराम द्वारा वादीया के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 12.04.1990 को आधार मानते हुए स्व. गंगाराम का 1/6 हक हिस्सा व स्वंय वादीया का 1/6 हक हिस्सा यानि विवेचित आराजीयात में वादीया को 2/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। इसके साथ ही वादीया के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न न तो स्वंय करे और न

ही किसी अन्य से करावें, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है । तद्नुसार आशय की अन्तिम डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। अंन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 268/2011 राजस्व वादपत्र

अनवान

1 श्रीमति गेकी पुत्री गंगाराम पत्नि पन्ना जाट उम्र–वयस्क निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

..... वादीया

बनाम

1 श्रीमति गोपी पुत्री गंगाराम जाट पत्नि गोपी जाट उम्र–वयस्क निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2 श्रीमति गोली पुत्री गंगाराम जाट पत्नि रामचन्द्र जाट उम्र–वयस्क निवासी सालरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

3 श्रीमति चान्दी पुत्री गंगाराम जाट पत्नि महादेव जाट उम्र–वयस्क निवासी कुवांर तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

4 श्रीमति केशर पत्नि स्व. गंगाराम जाट उम्र–वयस्क निवासी महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री कृष्ण कुमार जीनगर.....वकील वादीया
पैरोकार सरकार..... .....प्रतिवादी संख्या 05

दिनांक 08.02.2018

वाद–पत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम महुआखुर्द पटवार हल्का महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 450 के आराजी संख्या 691, 692, 695, 720, 721, 1948, 2009, 2010, 2183 कुल किता 9 कुल रकबा 11–11 बीघा भूमि में स्व. गंगाराम द्वारा वादीया के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 12.04.1990 को आधार मानते हुए स्व. गंगाराम का 1/6 हक हिस्सा व स्वंय वादीया का 1/6 हक हिस्सा यानि विवेचित आराजीयात में वादीया को 2/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। इसके साथ ही वादीया के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है । मुताबिक निर्णय अंन्तिम डिक्री प्रदत्त की जाती है। तद्नुसार पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को आदेशित किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 08.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा